



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15553

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 723/2026

शशांक यादव

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अरविंद कुमार त्रिवेदी, श्याम सुन्दर मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : आशीष मिश्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. त्रिवेदी के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष मिश्रा को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 01.10.2020 को कनिष्ठ सहायक, श्रेणी- III पद के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें आगरा में प्लेसमेंट दिया गया था। चूंकि रिट याचिकाकर्ता नैनी जिले प्रयागराज का निवासी है और उसकी पत्नी जिला प्रयागराज में लेखपाल के रूप में तैनात है, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने प्रयागराज से आगरा स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक पक्ष पर इस न्यायालय के समक्ष एक अनुरोध पत्र/अभ्यावेदन को प्राथमिकता दी। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, पति और पत्नी के बीच वैवाहिक कलह पैदा हुई और रिट याचिकाकर्ता की पत्नी अलग रहना चाहती है। हालांकि, इस बीच 31.07.2025 को दूसरे प्रत्यर्थी, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत उन्हें आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित करने के रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद रिट याचिकाकर्ता ने वैवाहिक कलह के कारण बदली हुई परिस्थितियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 2, यानी रजिस्ट्रार जनरल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक अभ्यावेदन/अनुरोध पत्र की सिफारिश की, जिसमें दिनांक 31.07.2025 के आदेश को रद्द करने और रिट याचिकाकर्ता को आगरा में ही बनाए रखने की मांग की गई।

3. प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश होने वाले श्री आशीष मिश्रा ने यह तर्क देने की मांग की है कि रिट याचिकाकर्ता स्टैंड को मंजूरी देते और फिर से खारिज करते समय एक ही समय में गर्म और ठंडा नहीं कर सकता है। निवेदन यह है कि यदि वैवाहिक कलह होती है और रिट याचिकाकर्ता इलाहाबाद में तैनात होने का इरादा नहीं रखता है, तो उसे स्थानांतरित स्थान में शामिल होना होगा और फिर आगरा वापस स्थानांतरित करने का अनुरोध करना होगा।

4. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतियों को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

5. जाहिर है, रिट याचिकाकर्ता एक हस्तांतरणीय पद रखता है, हालांकि, यह रिट याचिकाकर्ता की अपनी इच्छा पर था कि 31.07.2025 का आदेश प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया था जिसमें उसे आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि पति और पत्नी के बीच वैवाहिक कलह है और रिट याचिकाकर्ता आगरा में तैनात रहना चाहता है।

6. जैसा भी हो, स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.07.2025 है और हम वर्ष 2026 में हैं। न्यायालय की राय में, रिट याचिकाकर्ता को स्थानांतरण के स्थान, यानी प्रयागराज में शामिल होना है और फिर इस संबंध में अपनी शिकायत उठानी है।

7. इस स्तर पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता विचाराधीन पद पर शामिल होगा और फिर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एक व्यापक प्रतिनिधित्व करेगा, जो इसका फैसला करेगा।

8. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पक्षों द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है, जबकि रिट याचिकाकर्ता के लिए आगरा में स्थानांतरित स्थान में शामिल होने और फिर उचित चैनल के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, जिसे प्राथमिकता के अनुसार तय किया जाएगा।

9. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। आज पारित आदेश का लाभ रिट याचिकाकर्ता को केवल तभी लागू किया जाएगा, जब वह स्थानांतरित स्थान पर पद पर शामिल हो जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!